

1401
2021

रिपोर्ट पटवारी हस्ता/आईओएल03आर0
आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार रामसहाय पुग उत्तराम के अमावसी (समय 2015-16) में 337, 338 में रामसहाय पुग उत्तराम का नाम दर्ज किया है। जबकी रामसहाय पुग उत्तराम का नाम रामसहाय पुग उत्तराम है। अतः जांच का नाम रामसहाय पुग उत्तराम किया जाना उचित है/रिपोर्ट प्रमाणों की जांच के फल के अनुसार

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुदागौडजी

क्रमांक : राजस्व/2020/

दिनांक :-

16/11/20
16/11/20

मूल ही उपखण्ड अधिकारी (तहसीलदार उदयपुरवाटी) को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अधिसूचना की जाती है/करी की जाती है।

उक्त किया जाना उचित है।

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुदागौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी गिला धुंमुनुं (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक :- 16/11/21

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुदागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नालिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुदागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्यत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	<u>ककराना</u>	<u>2015-18</u>	<u>337</u> <u>338</u>	<u>रामसहाय पुग</u> <u>उत्तराम</u>	<u>रामसहाय पुग</u> <u>उत्तराम</u>

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

अपे
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 16/11/21

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 1130-31

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुदागौडजी को वारते पालनाार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीयाको सूचनाार्थ।

अपे
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

